

1. राज्य/जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समितियों से संबंधित सूचना:-

क्र. स.	समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम	समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पते	समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के टेलिफोन/फैक्स न0
1.	श्री ओमप्रकाश सारस्वत -अध्यक्ष	वार्ड न. 22 धर्म स्तूप के पास चूरु	9460671426
2.	श्री भंवर सिंह सामोर-सदस्य	वार्ड न. 24 गांधी कॉलोनी चूरु	9460528834
3.	श्री गणेश मंडावरिया-सदस्य	वार्ड न. 34 श्याम मन्दिर के पीछे सुजानगढ	9413013288
4.	श्रीमती विमला गढवाल-सदस्य	नई सडक चूरु	9461184077

2. समिति में शिकायत दर्ज करवाने की कार्य प्रणाली:- अधिनस्थ पुलिसकर्मियों के विरुद्ध घोर अवचार की शिकायत मिलने पर समिति द्वारा परिवाद पर संज्ञान लिया जाता है। घोर अवचार में निम्नलिखित समावेश है:-

1. गंभीर उपहति
2. अवैध निरोध
3. दस साल या उससे अधिक दण्ड से दंडनीय अपराध का आरोप
4. उद्यापन

3. शिकायतों पर निर्णय लेने की कार्यप्रणाली:- शिकायत में अंकित तथ्यों पर समिति द्वारा जांच की जाती है। यदि परिवाद में अंकित आरोपों की पुष्टि होती है तो विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जिला पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रेषित की जाती है।

4. समिति का वार्षिक प्रतिवेदन:- शून्य

5. दर्ज शिकायतों के संबंध में किए गए निर्णय या की गई अनुशंसाओं की वर्तमान स्थिति:- शून्य